न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द, आर.ए.एस

अपील संख्या – 379/2017/223 आर टी ए

1. नरसी पुत्र तोखराम जाति जाट साकिन गढ़ीछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. कमलेश पुत्री तोखराम पत्नि रणवीर जाति जाट साकिन गढ़ीछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। ––अपीलांटस/प्रतिवादीगण

बनाम

1. रामपत्त पुत्र तोखराम जाति जाट साकिन गढ़ीछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। ––वादी/रेस्पोडेन्ट
2. तोखराम पुत्र मोतीराम जाति जाट गढ़ीछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. कृष्ण पुत्र तोखराम जाति जाट साकिन गढ़ीछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

––प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 27.09.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा प्र0सं0 149/2017 अनवानी रामपत्त बनाम तोखराम आदि

उपस्थित :–
श्री विजय कौशिक, अधिवक्ता अपीलाण्टस
श्री हवासिंह पूनियां, अधिवक्ता रेस्पो0
श्री मांगेराम गोदारा, राजकीय अधिवक्ता

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

निर्णय दिनांकः–06.02.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं0 1/वादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 पेश कर रौही चक 7 जेएसएल के खाता सं0 37/34 की कुल 5.123 हैक्टयर एवं इसी प्रकार चक 6 जेएसएल के खाता सं0 60/58 की कुल 2.453 हैक्टेयर रेस्पों0 सं0 2/प्रतिवादिगण तोखराम के नाम दर्ज भूमि में रेस्पो0सं0 1/वादी रामपत्त 1/4 हिस्सा, रेस्पों0 सं0 2/प्रतिवादीगण तोखराम 1/4 हिस्सा, रेस्पो0 सं0 3/प्रतिवादीगण कृष्ण 1/4 हिस्सा, एवं अपीलांट सं0 1/प्रतिवादिगण नरसी 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित करने हेतु अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने वाद पत्र स्वीकार कर डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्टस ने यह अपील पेश की।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसील भादरा के रौही चक 7 जे एस एल के खाता सं0 37/34 के मु0 नं0 49 के किला नं0 11 से 18, 23

इसी प्रकार चक 6 जेएसएल के खाता सं0 60/58 के मु0नं0 37 के किला नं0 17,21/2,22 से 25 की कुल 1.404 है0 मु0 नं0 65 के किला नं0 2/2,3,4,7,8/1 की 1.049 है0 कुल 2.453 है0 नहरी कृषि भुमि में नहरी 2.302 है0 गैर मु0 रास्ता 0.076 है0 गैर मु0 खाला 0.075 है0 खातेदारी वादि के पिता प्रतिवादि सं0 1 तोखराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो अपने पिता मोतीराम से विरासतन प्राप्त हुई है। इसमें अपीलांट सं0 1 नरसी पुत्र तोखराम, रेस्पो0 सं0 1 रामपत्त पुत्र तोखराम, रेस्पों0 सं0 3 कृष्ण पुत्र तोखराम एवं अपीलांट सं0 2 कमलेश पुत्री तोखराम तथा रेस्पों0 सं0 2 तोखराम पुत्र मोतीराम प्रत्येक का 1/5 – 1/5 हिस्सा की घोषणा होनी चाहिए। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट सं0 2 कमलेश पुत्री तोखराम का हिस्सा नहीं माना है जो की गलत है। रेस्पो0 सं0 1 ने विचाराण न्यायालय के समक्ष मिथ्या कथन कर वाद प्रस्तुत कर अपीलांट सं0 2/प्रतिवादिया सं0 4 के द्वारा आपसी घरेलु मौखिक बटवारा किये जाने एवं अपना हक अपीलांट सं0 1/प्रतिवादीगण एवं रेस्पों0 सं0 1/वादी, रेस्पो0 सं0 2/प्रतिवादीगण, रेस्पो0 सं0 3/प्रतिवादीगण जो उसके पिता व भाई है के पक्ष में तर्क कर अपना हिस्सा शुन्य कर लिये जाने के मिथ्या कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया था, जो कतई सिद्ध नहीं था। दावा में अंकित किये गये कथनों के समर्थन में कोई मौखिक एवं पूर्व से हुए बंटवारे से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया एवं इस और बिना गौर किये ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने की विधिक भूल की है। सभी को 1/5 – 1/5 हिस्सा मिलना चहिए था। अतः अपील अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो को स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अध्ययन किया।

6. अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट/वादी ने अर्जीदावा पेश पेश कर प्रश्नगत भूमि को अपीलाट व वादीगण संख्या 1 2 4 के मध्य 1/4 –1/4 हिस्सों में विभाजन की डिक्री पारित कर दी। अपीलाण्ट संख्या 1 का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट की कोई सहमति नहीं थी। अपीलाण्ट संख्या ने भी अपील में यह कथन किया कि उसने भूमि के बंटवारा के संबंध कोई सहमति नही दी। अपीलाण्ट का यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में कमलेश पुत्री का हिस्सा नहीं माना जो गलत है सभी का 1/5 हिस्सा होना चाहिऐ था। अपील स्तर पर उभयपक्ष पक्ष के अधिवक्तागण अपील स्वीकार करने में सहमत है।

7. अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। सहायक कलक्टर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जाता है। उपखण्ड अधिकारी भादरा को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष पक्षों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.03.2019 को उपस्थित हों।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मूल चन्द)आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)